न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019

कृष्ण कुमार सैनी पुत्र बीरबल सैनी जाति माली निवासी नवगडी (माणकराम की ढाणी सैनीनगर) तहसील नवलगढ
—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ —अनावेदक

प्रार्थना पत्र बाबत अं.धारा 136

एडवोकेट आवेदक :— श्री अमित कुमार शर्मा

एडवोकेट अना0 :— श्री अर्जुनसिंह पैरोकार राज

आदेश

दिनांक 06.08.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पिता के देहान्त के पश्चात 06.07.2017 को पटवारी के द्वारा जो विधिक उतराधिकारी के नाम लिखे गये थे उनमें प्रार्थी कृष्ण कुमार सैनी का नाम किशनलाल लिख दिया गया जो सही नही है। प्रार्थी का सहिी नाम कृष्ण कुमार सैनी ळे एवं अनलय सभी दस्तावेजों में भी नाम कृष्ण कुमार सैनी ही है। प्रार्थी के पास ग्राम पंचायत नवलडी द्वज्ञरा जारी प्रमाण पत्र है जिसमें वास्तविक नाम कृष्ण कुमार सैनी है। प्रार्थी की अंकतालिका आधारकार्ड राशनकार्ड पहचान पत्र एनओसी में नाम का उल्लेख सही किया गया है जो किशनलाल सैनी ही है। प्रार्थी का सही नाम करवाने का आदेश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी अनावेदक की गई। अनावेदक द्वारा जबाब जरिये पत्रांक भू.अ. 19/1702 दिनांक 06.08.19 के अनुसार ग्राम सैनी नगर के भूमि ख.न. 330, 331, 332 किता 3 कुल रकबा 2.43 है0 में सह खातेदार किशनलाल पि0 बीरबलराम क बजाय कृष्णकुमार सेनी पुत्र बीरबलराम की दुरूस्ती सह खातेदारों की सहमति से की जाती तो भूमिधारी को कोई एतराज नही है।

जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम सैनीनगर के खाता सं0 113 की भूमि ख.न. 330/1.20, 331/0.03, 332/1.20 किता 3 कुल रकबा 2.43 है0 की खातेदारी में किशनलाल पिता बीरबल दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड में फौटो कॉपी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नवलडी, परिवार राशनकार्ड, तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर अर्थात उक्त समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम कृष्ण कुमार पुत्र बीरबल नाम अंकित किया गया है। अतः तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का सही नाम कृष्णकुमार पुत्र बीरबल होने की पुष्टि होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सैनी नगर की भूमि खाता सं0 113 के ख.न. 330/1.20, 331/0.03, 332/1.20 किता 3 कुल रकबा 2.43 है0 में किशनलाल पुत्र बीरबल के स्थान पर कृष्णकुमार पुत्र बीरबल नाम दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नवलगढ सत्यमेव जयते